(वाद संख्या–2328/19)

27.08.2020

परिवादी अनुपस्थित है। रामाकान्त राय की ओर से उनकी पुत्र–वधू सुनीला कुमारी अपने पुत्र प्रेम राज के साथ उपस्थित हैं।

परिवादी की ओर से उपस्थित दोनों व्यक्तियों को सुना व पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

परिवादी की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि रामाकान्त राय, तथा एक अन्य सीताराम पाण्डेय द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञानदा पब्लिक स्कूल वाली जमीन को, चार विक्रय विलेखों द्वारा, क्रय किया गया था। बाद में एक हिस्सेदार सीताराम पाण्डेय की मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी तथा पुत्रों, आमोद कुमार पाण्डेय तथा प्रमोद कुमार पाण्डेय, द्वारा मिल कर स्कूल के आधे हिस्से वाली जमीन को पूसा प्रखंड प्रमुख संतोष तिवारी की पत्नी रविता तिवारी को निबंधित विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर दिया गया। परिवादी का कथन है कि जिस जमीन को सीताराम पाण्डेय के उत्तराधिकारियों द्वारा रविता तिवारी को बेचा गया वह जमीन रामाकान्त राय तथा सीताराम पाण्डेय द्वारा मिलकर पंचों की उपस्थिति में किये गये आपसी बंटवारानामा के आधार पर, रामाकान्त राय को बटवारा मे मिला था जिसे रामाकान्त राय ने वर्ष 2007 में अपनी पुत्र–वधू, सुनीला कुमारी, को निबंधित दान पत्र द्वारा दान कर दिया गया।

परिवादी यह स्वीकार करते हैं कि प्रसंगाधीन मामला एक निजी व्यक्ति के साथ उसके सिविल विवाद से संबंधित है जिसके वैधानिक निराकरण हेतु उसने समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के प्रथम सब जज के न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या–182/19 दाखिल कर रखा है, जिसमें प्रतिवदियों की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है तथा गजट प्रकाशन की कार्यवाही

भी किया गया है। परन्तु अभी तक प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए है। वैसे पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन मामले में उभय पक्ष के बीच तनाव को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है तथा थाना स्तर से निगरानी भी किया जा रहा है।

परिवादी का कथन है कि विपक्षी के द्वारा आज भी उसे तथा उसके परिवार को धमकी दी जा रही है तथा इस संबंध में थाना में उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है।

अब जबकि, प्रसंगाधीन मामला दो निजी व्यक्तियों के बीच एक सिविल विवाद से संबंधित है जिसकी एक सक्षम न्यायालय में सुनवाई हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। **लेकिन परिवादी द्वारा आयोग के समक्ष सुनवाई के क्रम में अपने तथा अपनी परिवार की सुरक्षा को लेकर आशंका व्यक्त की गयी है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर से अनुशंसा की जाती है कि वह परिवादी तथा उसके परिवार के सदस्यों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुचित कार्यवाही करे।**

अतः प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को उचित कार्यवाही हेतु एवं परिवादी को आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

सहायक निबंधक